

अभिव्यक्ति और माध्यम

(जनसंचार माध्यम और लेखन, सृजनात्मक लेखन, व्यावहारिक लेखन)
कक्षा 11 और 12 के लिए हिंदी (आधार और ऐच्छिक पाठ्यक्रम) की पाठ्यपुस्तक



राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING

ISBN 81-7450-604-7

प्रथम संस्करण

जुलाई 2006 श्रावण 1927

पुनर्मुद्रण

जनवरी 2010 माघ 1931

नवम्बर 2010 कार्तिक 1932

जनवरी 2011 माघ 1932

दिसंबर 2012 अग्रहायण 1934

मार्च 2014 फाल्गुन 1935

PD 40T RPS

© राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, 2006

₹ 110.00

एन.सी.ई.आर.टी. वॉटरमार्क 80 जी.एस.एम.
पेपर पर मुद्रित।

प्रकाशन प्रभाग में सचिव, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान
और प्रशिक्षण परिषद्, श्री अरविंद मार्ग,
नयी दिल्ली 110 016 द्वारा प्रकाशित तथा यंग
प्रिंटिंग प्रैस, 2626 बिहारी कॉलोनी, गली न.-7,
शाहदरा, दिल्ली 110 032 द्वारा मुद्रित।

सर्वाधिकार सुरक्षित

- प्रकाशक को पूर्व अनुमति के बिना इस प्रकाशन के किसी भाग को छापना तथा इलेक्ट्रॉनिकी, मशीनी, फोटोप्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग अथवा किसी अन्य विधि से पुनः प्रयोग पद्धति द्वारा उसका संग्रहण अथवा प्रसारण वर्जित है।
- इस पुस्तक की बिक्री इस शर्त के साथ की गई है कि प्रकाशक को पूर्व अनुमति के बिना यह पुस्तक अपने मूल आवरण अथवा जिल्द के अलावा किसी अन्य प्रकार से व्यापार द्वारा उधारी पर, पुनर्विक्रय या किराए पर न दी जाएगी, न बेची जाएगी।
- इस प्रकाशन का सही मूल्य इस पृष्ठ पर मुद्रित है। रबड़ की मुहर अथवा चिपकाई गई पर्ची (स्टिकर) या किसी अन्य विधि द्वारा अंकित कोई भी संशोधित मूल्य गलत है तथा मान्य नहीं होगा।

एन. सी. ई. आर. टी. के प्रकाशन प्रभाग के कार्यालय

एन.सी.ई.आर.टी. कैंपस

श्री अरविंद मार्ग

नयी दिल्ली 110 016

फोन : 011-26562708

108, 100 फीट रोड

हेली एक्सप्लोरेशन, होस्टेकेरे

बनाशंकरा III स्टेज

बेंगलुरु 560 085

फोन : 080-26725740

नवजीवन ट्रस्ट भवन

डाकघर नवजीवन

अहमदाबाद 380 014

फोन : 079-27541446

सी.डब्ल्यू.सी. कैंपस

निकट: धनकल बस स्टॉप पनहटी

कोलकाता 700 114

फोन : 033-25530454

सी.डब्ल्यू.सी. कॉम्प्लेक्स

मालीगांव

गुवाहाटी 781021

फोन : 0361-2674869

प्रकाशन सहयोग

अध्यक्ष, प्रकाशन प्रभाग : अशोक श्रीवास्तव

मुख्य उत्पादन अधिकारी : कल्याण बनर्जी

मुख्य संपादक : श्वेता उप्पल

मुख्य व्यापार प्रबंधक : गौतम गांगुली

सहायक उत्पादन अधिकारी : राजेन्द्र चौहान

आवरण एवं सज्जा

श्वेता राव

चित्र

इरफान

आमुख

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (2005) सुझाती है कि बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। यह सिद्धांत किताबी ज्ञान की उस विरासत के विपरीत है जिसके प्रभाववश हमारी व्यवस्था आज तक स्कूल और घर के बीच अंतराल बनाए हुए है। नयी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या पर आधारित पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें इस बुनियादी विचार पर अमल करने का प्रयास हैं। इस प्रयास में हर विषय को एक मजबूत दीवार से घेर देने और जानकारी को रटा देने की प्रवृत्ति का विरोध शामिल है। आशा है कि ये कदम हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में वर्णित बाल-केंद्रित व्यवस्था की दिशा में काफ़ी दूर तक ले जाएँगे।

इस प्रयत्न की सफलता अब इस बात पर निर्भर है कि स्कूलों के प्राचार्य और अध्यापक बच्चों को कल्पनाशील गतिविधियों और सवालों की मदद से सीखने और सीखने के दौरान अपने अनुभव पर विचार करने का अवसर देते हैं। हमें यह मानना होगा कि यदि जगह, समय और आज़ादी दी जाए तो बच्चे बड़ों द्वारा सौंपी गई सूचना-सामग्री से जुड़कर और जूझकर नए ज्ञान का सृजन करते हैं। शिक्षा के विविध साधनों व स्रोतों की अनदेखी किए जाने का प्रमुख कारण पाठ्यपुस्तक को परीक्षा का एकमात्र आधार बनाने की प्रवृत्ति है। सर्जना और पहल को विकसित करने के लिए ज़रूरी है कि हम बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में पूरा भागीदार मानें और बनाएँ, उन्हें ज्ञान की निर्धारित खुराक का ग्राहक मानना छोड़ दें।

ये उद्देश्य स्कूल की दैनिक जिंदगी और कार्यशैली में काफ़ी फेरबदल की माँग करते हैं। दैनिक समय-सारणी में लचीलापन उतना ही ज़रूरी है जितनी वार्षिक कैलेंडर के अमल में चुस्ती, जिससे शिक्षण के लिए नियत दिनों की संख्या हकीकत बन सके। शिक्षण और मूल्यांकन की विधियाँ भी इस बात को तय करेंगी कि यह पाठ्यपुस्तक स्कूल में बच्चों के जीवन को मानसिक दबाव तथा बोरियत की जगह खुशी का अनुभव बनाने में कितनी प्रभावी सिद्ध होती है। बोझ की समस्या से निपटने के लिए पाठ्यक्रम निर्माताओं ने विभिन्न चरणों में ज्ञान का पुनर्निर्धारण करते समय बच्चों के मनोविज्ञान व अध्यापन के लिए उपलब्ध समय का ध्यान रखने की पहले से अधिक सचेत कोशिश की है। इस कोशिश को और गहराने के यत्न में यह पाठ्यपुस्तक सोच-विचार और विस्मय, छोटे समूहों में बातचीत व बहस और हाथ से की जाने वाली गतिविधियों को प्राथमिकता देती है।

एन.सी.ई.आर.टी. इस पुस्तक की रचना के लिए बनाई गई पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति के परिश्रम के लिए कृतज्ञता व्यक्त करती है। परिषद् भाषा सलाहकार समिति के अध्यक्ष प्रोफ़ेसर नामवर सिंह और इस पुस्तक के मुख्य सलाहकार प्रोफ़ेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल की विशेष आभारी है। इस पाठ्यपुस्तक के विकास में कई शिक्षकों ने योगदान दिया; इस योगदान को संभव बनाने के लिए हम उनके प्राचार्यों के आभारी हैं। हम उन सभी संस्थानों और संगठनों के प्रति कृतज्ञ हैं जिन्होंने अपने संसाधनों, सामग्री तथा सहयोगियों की मदद लेने में हमें उदारतापूर्वक सहयोग दिया। हम माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन



iv

विकास मंत्रालय द्वारा प्रोफ़ेसर मृणाल मीरी एवं प्रोफ़ेसर जी.पी. देशपांडे की अध्यक्षता में गठित (मॉनिटरिंग कमेटी) द्वारा नामित श्री अशोक वाजपेयी और प्रोफ़ेसर सत्यप्रकाश मिश्र को अपना मूल्यवान समय और सहयोग देने के लिए धन्यवाद देते हैं। व्यवस्थागत सुधारों और अपने प्रकाशनों में निरंतर निखार लाने के प्रति समर्पित एन.सी.ई.आर.टी टिप्पणियों व सुझावों का स्वागत करेगी जिनसे भावी संशोधनों में मदद ली जा सके।

नयी दिल्ली
20 दिसंबर 2005

निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

© NCERT
not to be republished





यह पुस्तक

विद्यार्थियों की सहज भाषा अभिव्यक्ति का ताकतवर जरिया बने। स्कूली जीवन से ही वे बाहर की विशाल दुनिया में झाँकें, जीवन-जगत के अनेक रूपों को समझे-बूझें, रंग-बिरंगे सपनों का ताना-बाना फैलाना सीखें, मुश्किलों को पहचानें और उसका सामना कर सकें यानी अपनी राह तलाशने में या बनाने में वे खुद सक्षम हो सकें। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (2005) में इन बिंदुओं पर खासा बल है। इन्हीं को ध्यान में रखकर नए पाठ्यक्रम के तहत उच्चतर माध्यमिक स्तर पर हिंदी पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए एक ऐसी पुस्तक की परिकल्पना की गई, जो अभिव्यक्ति के अलग-अलग माध्यमों पर केंद्रित हो। *अभिव्यक्ति और माध्यम* नामक इस पुस्तक की तीन इकाइयाँ हैं— **जनसंचार माध्यम और लेखन, सृजनात्मक लेखन और व्यावहारिक लेखन**। ये तीनों ही माध्यम एक विशेष बिंदु पर एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं और व्यापक रूप से संचार के ही अलग-अलग रूप हैं। पत्रकारिता का साहित्य से, साहित्य का व्यवहार से और इन सबका संचार से क्या संबंध है? यह बताने की आवश्यकता नहीं।

पुस्तक की पहली इकाई के रूप में **जनसंचार माध्यम और लेखन** संबंधी सामग्री पाँच अध्यायों में दी गई है। अपने समय, समाज और देश के प्रति जागरूक बनाने में जनसंचार माध्यम सबसे सशक्त माध्यम के रूप में उभर कर सामने आया है। हाल के वर्षों में भारतीय मीडिया में क्रांति-सी आई है। समाचार माध्यमों का विस्तार हुआ है और जनता का इससे जुड़ाव बढ़ा है। मीडिया क्रांति ने जहाँ एक ओर पूरे विश्व से जुड़ने का अवसर दिया है वहीं दूसरी ओर बाज़ार के दबाव में आम आदमी, उसके सुख-दुख, उसकी चिंताएँ, उसके सरोकार, उसकी उम्मीदों को हाशिये पर रख दिया है। केंद्र में सेलिब्रिटीज़ हैं और बिकाऊ खबरें हैं। युवा होते विद्यार्थियों को यह जानना ही होगा कि केंद्र और हाशिये का संतुलन तय करने में उनकी कलम क्या भूमिका अदा कर सकती है? उन्हें यह समझना ही होगा कि एक खुशहाल देश के निर्माण और प्रगति में भाषा की क्या भूमिका होती है? इन सबसे अनजान आज के बच्चों को टेलीविज़न, रेडियो, अखबार, इंटरनेट और पत्रिकाएँ आकृष्ट तो करती हैं; जैसे, कहाँ से आती हैं खबरें, कैसे छपते हैं अखबार, कैसे जुड़े हैं आपस में पूरी दुनिया के तार? वगैरह। लेकिन इन सवालों के साथ-साथ उन्हें यह भी बताया जाना जरूरी है कि पूरी दुनिया के तार जोड़ने वाली मीडिया की जानदार दुनिया उनकी सक्रिय और सचेत पहल के बिना कितनी बेजान है। सही मायनों में संचार का यही अर्थ है। यह पुस्तक जनसंचार की दुनिया को जानने, समझने और बच्चों से उनका तार जोड़ने की दिशा में एक पहल कर सकती है।

कहा जाता है कि अच्छी पत्रकारिता अच्छा साहित्य है, उसी तरह से यह भी कहा जाता है कि अच्छा साहित्य अच्छी पत्रकारिता की भूमिका निभाता है। यानी दोनों का लक्ष्य एक है। इस पुस्तक की दूसरी इकाई में **सृजनात्मक लेखन** संबंधी आठ अध्याय शामिल हैं। साहित्य निर्जीव चीज़ों में भी स्पंदन भर देता है। यह स्पंदन भरना ही सृजनात्मकता है। इस प्रक्रिया से जुड़ना केवल नदी, पहाड़, फूल, तारे, बादल, खेत आदि को ही नहीं बल्कि खुद

को भी नए स्पंदन से भरना है। इसकी पहचान के सहारे बच्चे निश्चय ही एक सजीव दुनिया रचने में समर्थ हो सकते हैं। आज कला और साहित्य बच्चों के लिए अवास्तविक और अमूर्त कल्पना बनकर रह गया है। उन्हें यह जानकारी देना ज़रूरी है कि हर रचना की आधारभूमि भाव होता है जिसकी जड़ें यथार्थ से जुड़ी होती हैं। रचनात्मक प्रक्रिया से होकर गुज़रना उनकी अमूर्त कल्पना को यथार्थ और विश्वास से जोड़ने में समर्थ हो सकता है। यूँ तो लेखन से बच्चों का संपर्क और संबंध स्कूली दुनिया में प्रवेश के साथ ही हो जाता है। लेकिन सृजन क्या है? यह इन बच्चों को नहीं पता होता। मसलन कैसे बनती है कविता? उपन्यास, कहानी और नाटक आदि का लेखन कैसे होता है? सृजनात्मकता की बुनावट की पहचान जहाँ उनमें एक ओर रचनाशीलता के प्रति ललक पैदा कर उन्हें रचनाशील बनाती है, वहीं दूसरी ओर साहित्य और साहित्येतर लेखन को जानने-समझने में भी मददगार हो सकती है।

पत्रकारिता और साहित्य जहाँ एक ओर विद्यार्थी को ज़िम्मेदार नागरिक और रचनात्मक व्यक्तित्व दे सकने में सहायक होंगे, वहीं व्यावहारिक लेखन की जानकारी इस ज़िम्मेदारी के निर्वाह में मददगार होगी। साथ ही यह प्रयोजनमूलक हिंदी के विशाल फलक को जानने का ज़रिया बन सकती है। पुस्तक की तीसरी इकाई में **व्यावहारिक लेखन** संबंधी तीन अध्याय शामिल हैं। इसी के तहत शब्दकोश का परिचय भी रखा गया है। इसकी प्रस्तुति कहानी के ढाँचे में है। उद्देश्य यह है कि व्यवहार की हिंदी को बच्चे व्यवहार के माध्यम से ही जानें। विषय के प्रति उनकी अभिरुचि भी बनी रहे, साथ ही कार्यालयी प्रक्रिया से अनजान बच्चों के दिमाग में विभिन्न कार्यालयी स्थितियों की उचित तसवीर अंकित हो सके। यह इसलिए भी ज़रूरी है कि आज का व्यावहारिक लेखन अपने नाम से अलग एक औपचारिक लेखन मात्र बनकर रह गया है। कामकाजी जीवन के रोज़मर्रा की भाषा को मशीनी एकरसता से निकालकर उसकी धड़कन सुनने की ज़रूरत बड़े दिनों से महसूस की जा रही है। यह पुस्तक इस दिशा में एक प्रयास होगी।

जनसंचार संबंधी लेखन हो, सृजनात्मक लेखन हो या व्यावहारिक लेखन—तीनों ही इकाई के प्रश्न खुद कर के सीखने और जानने में सहायक होंगे। **गतिविधि और पाठ से संवाद** शीर्षक अभ्यास बच्चों को लेखन की दुनिया से जोड़ने की पहल कर सकने में मददगार होंगे। पुस्तक के परिशिष्ट में नए शब्दों और पारिभाषिक शब्दों के बारे में दिया गया है। साथ ही कुछ विषयों से जुड़े वेब साइट्स की सूचना दी गई है जो अतिरिक्त जानकारी में सहायक होंगी।

साज-सज्जा के लिए तसवीरों के साथ-साथ रेखांकन, स्वतंत्र कार्टून और कैरीकेचर की मदद ली गई है। व्यंग्य के सहारे कार्टून संजीदा बिंबात्मक अर्थ देने में समर्थ होते हैं। जनसंचार, सृजनात्मक लेखन और व्यावहारिक लेखन जैसे विषयों के साथ-साथ कार्टून चित्रों का प्रयोग विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति का एक नया माध्यम भी दे सकता है।

पढ़ने-पढ़ाने की प्रक्रिया सतत चलती रहती है। इसमें हमेशा नए की संभावना बनी रहती है। पुस्तक को निरंतर नया कर सकने और कुछ सुझाव जोड़ने में आपसे संचार सहायक होगा।



पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति

अध्यक्ष, भाषा सलाहकार समिति

नामवर सिंह, पूर्व अध्यक्ष, भारतीय भाषा केंद्र, जे.एन.यू., नयी दिल्ली

मुख्य सलाहकार

पुरुषोत्तम अग्रवाल, पूर्व प्रोफेसर, भारतीय भाषा केंद्र, जे.एन.यू., नयी दिल्ली

मुख्य समन्वयक

रामजन्म शर्मा, पूर्व प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, भाषा शिक्षा विभाग, एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली

सदस्य

अतुल सिन्हा, पूर्व सलाहकार प्रोफेसर, जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्यूनिकेशन, नोएडा

अमिताभ श्रीवास्तव, स्वतंत्र रंगकर्मी, नयी दिल्ली

असगर वजाहत, प्रोफेसर, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नयी दिल्ली

आनंद प्रधान, एसोसिएट प्रोफेसर, आई.आई.एम.सी., जे.एन.यू., नयी दिल्ली

गोविंद सिंह, पूर्व संपादक, अमर उजाला, नयी दिल्ली

देवेन्द्र राज अंकुर, पूर्व निदेशक, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नयी दिल्ली

धीरंजन मालवे, विशेष कार्य अधिकारी, प्रसार भारती, नयी दिल्ली

प्रियदर्शन, समाचार संपादक, एन.डी.टी.वी. इंडिया, नयी दिल्ली

मधुकर उपाध्याय, पूर्व संपादक, लोकमत, नागपुर

महेन्द्रपाल शर्मा, प्रोफेसर, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नयी दिल्ली

संजीव कुमार, वरिष्ठ प्रवक्ता, देशबंधु कॉलेज, कालकाजी, नयी दिल्ली

सुभाष धूलिया, प्रोफेसर, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नयी दिल्ली

हेमन्त जोशी, एसोसिएट प्रोफेसर, आई.आई.एम.सी., जे.एन.यू., नयी दिल्ली

सदस्य-समन्वयक

संध्या सिंह, प्रोफेसर, भाषा शिक्षा विभाग, एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली



भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक ¹[संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य] बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को :

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म
और उपासना की स्वतंत्रता,
प्रतिष्ठा और अवसर की समता

प्राप्त कराने के लिए,
तथा उन सब में

व्यक्ति की गरिमा और ²[राष्ट्र की एकता
और अखंडता] सुनिश्चित करने वाली बंधुता
बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख
26 नवंबर, 1949 ई. को एतद्वारा इस संविधान को
अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

1. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3.1.1977 से) "प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3.1.1977 से) "राष्ट्र की एकता" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

आभार

इस पुस्तक के निर्माण में अकादमिक सहयोग के लिए विशेष आमंत्रित ओम गुप्ता, पत्रकार, नयी दिल्ली, उषा शर्मा, वरिष्ठ प्रवक्ता, डाइट, मोती बाग, नयी दिल्ली; नीलकंठ कुमार, अध्यापक, प्रतिभा विकास विद्यालय, नयी दिल्ली; अनुराधा, अध्यापिका, सरदार पटेल विद्यालय, नयी दिल्ली; नूतन झा, अध्यापिका, मीराबिका विद्यालय, नयी दिल्ली के हम आभारी हैं।

ईदगाह संबंधी रेखांकन के लिए अजय मोहंती, सामग्री संचयन के लिए नेहरू स्मारक पुस्कालय, नयी दिल्ली एवं नागरी प्रचारिणी सभा, काशी के हम कृतज्ञ हैं।

इस पुस्तक के निर्माण में तकनीकी सहयोग के लिए कंप्यूटर स्टेशन (भाषा विभाग) के प्रभारी, परशराम कौशिक, डी.टी.पी. ऑपरेटर जय प्रकाश राय, सचिन कुमार तथा विजय कुमार; कॉपी एडिटर प्रमोद तिवारी, समीना उस्मानी, सुप्रिया गुप्ता, सतीश झा; प्रूफ रीडर, कमलेश कुमारी के प्रति हम आभारी हैं।



© NCERT
not to be republished

भारत का संविधान

भाग 4क

नागरिकों के मूल कर्तव्य

अनुच्छेद 51 क

मूल कर्तव्य - भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह -

- (क) संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे;
- (ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे;
- (ग) भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे;
- (घ) देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे;
- (ङ) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों;
- (च) हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्त्व समझे और उसका परिरक्षण करे;
- (छ) प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखे;
- (ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे;
- (झ) सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे;
- (ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत् प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू सके; और
- (ट) यदि माता-पिता या संरक्षक हैं, छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले अपने, यथास्थिति, बालक या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करे।

विषय-क्रम

आमुख	iii
यह पुस्तक	v
इकाई एक	1-102
जनसंचार माध्यम और लेखन	
1. जनसंचार माध्यम (कक्षा 11 के आधार और ऐच्छिक पाठ्यक्रम के लिए)	3
2. पत्रकारिता के विविध आयाम (कक्षा 11 के आधार और ऐच्छिक पाठ्यक्रम के लिए)	28
3. विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन (कक्षा 12 के आधार और ऐच्छिक पाठ्यक्रम के लिए)	47
4. पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया (कक्षा 12 के आधार और ऐच्छिक पाठ्यक्रम के लिए)	67
5. विशेष लेखन-स्वरूप और प्रकार (कक्षा 12 के आधार और ऐच्छिक पाठ्यक्रम के लिए)	87
इकाई दो	103-162
सृजनात्मक लेखन	
6. कैसे बनती है कविता (कक्षा 12 के ऐच्छिक पाठ्यक्रम के लिए)	105
7. नाटक लिखने का व्याकरण (कक्षा 12 के ऐच्छिक पाठ्यक्रम के लिए)	114
8. कैसे लिखें कहानी (कक्षा 12 के ऐच्छिक पाठ्यक्रम के लिए)	120
9. डायरी लिखने की कला (कक्षा 11 के आधार और ऐच्छिक पाठ्यक्रम के लिए)	128
10. कथा-पटकथा (कक्षा 11 के आधार और ऐच्छिक पाठ्यक्रम के लिए)	134



- | | |
|---|-----|
| 11. कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतरण
(कक्षा 12 के आधार पाठ्यक्रम के लिए) | 140 |
| 12. कैसे बनता है रेडियो नाटक
(कक्षा 12 के आधार पाठ्यक्रम के लिए) | 147 |
| 13. नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन
(कक्षा 12 के आधार और ऐच्छिक पाठ्यक्रम के लिए) | 155 |

इकाई तीन

163-208

व्यावहारिक लेखन

- | | |
|--|-----|
| 14. कार्यालयी लेखन और प्रक्रिया
(कक्षा 11 के आधार और ऐच्छिक पाठ्यक्रम के लिए) | 165 |
| 15. स्ववृत्त लेखन और रोजगार संबंधी आवेदन पत्र
(कक्षा 11 के आधार और ऐच्छिक पाठ्यक्रम के लिए) | 182 |
| 16. शब्दकोश, संदर्भ ग्रंथों की उपयोगी विधि और परिचय
(कक्षा 11 के आधार पाठ्यक्रम के लिए) | 193 |
| परिशिष्ट-1 | 203 |
| परिशिष्ट-2 | 205 |
| परिशिष्ट-3 | 206 |

